

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर (राज०)

तृतीय स्मरण पत्र

सहायता अनुभाग स्म नं 12 क्लरिफिकेट समा

(आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

oicreliefswm@gmail.com

oic\_relief\_swm@rajasthan.gov.in

क्रमांक : सहा./विविध/प्रा.आ./3392

दिनांक:-23/6/2022

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय,  
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,  
राजस्थान जयपुर

विषय:- प्राकृतिक आपदा (आकाशीय बिजली) से क्षति होने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक सहा./विविध/प्रा.आ./2619 दिनांक 10.05.2021, स्मरण पत्र क्रमांक 281 दिनांक 19.01.2022 एवं 2210 दिनांक 10.05.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर श्री शरीफ पुत्र श्री शब्बीर निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर एवं श्री शब्बीर पुत्र श्री तैयब निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर की सहायता पत्रावली इस कार्यालय को DMIS Portal के माध्यम से प्राप्त हुई। जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति Relief/NC/sky light/2020/5663-70 दिनांक 23.12.2020 जारी की जाकर बजट मांग की गई। लेकिन उक्त बजट मांग को रिवाईज्ड किये जाने एवं उक्त रिवाईज्ड मांग में कमी पूर्ति का विकल्प न होने तथा Direct Demand निष्क्रिय किये जाने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान जयपुर एवं DMIS HelpDesk से दुरभाष पर प्राप्त निर्देशानुसार प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः DMIS Portal के माध्यम से आवेदन जाने के निर्देश दिये गये।

इस संदर्भ में संबंधित प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि DMIS Portal के माध्यम से पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर Already Applied दर्शित हो रहा है। अन्य/नवीन SSO ID से Form Online करने पर भी Already Applied दर्शित हो रहा है।

प्रार्थी के अतिरिक्त उनके पुत्र, पत्नी आदि के नाम ऑनलाईन आवेदन नहीं किया जा सकता चूंकि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से क्षतिग्रस्त मकान का ऑथोराइज्ड कन्ट्रक्शन प्रमाण पत्र प्रार्थी स्वयं के नाम पर है। कृपया उक्त प्रकरण में संबंधित प्रार्थी को जारी प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार सहायता राशि का भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावे।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)  
अति. जिला कलेक्टर एवं  
प्रभारी अधिकारी सहायता  
सवाई माधोपुर

## कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर (राज०)

(आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

सहायता अनुभाग रुम नं 12 क्लकट्टे राम

oicreliefswm@gmail.com  
oic\_relief\_swm@rajasthan.gov.in

कमांक : सहा./विविध/प्रा.आ./2210

दिनांक:- 10/05/2022

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय,  
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,  
राजस्थान जयपुरविषय:- प्राकृतिक आपदा (आकाशीय बिजली) से क्षति होने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत  
किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।प्रसंग:- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक सहा./विविध/प्रा.आ./2619 दिनांक 10.05.2021  
एवं स्मरण पत्र कमांक 281 दिनांक 19.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर श्री शरीफ पुत्र श्री शब्बीर निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर एवं श्री शब्बीर पुत्र श्री तैयब निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर की सहायता पत्रावली इस कार्यालय को DMIS Portal के माध्यम से प्राप्त हुई। जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति Relief/NC/sky-light/2020/5663-70 दिनांक 23.12.2020 जारी की जाकर बजट मांग की गई। लेकिन उक्त बजट मांग को रिवाइज्ड किये जाने एवं उक्त रिवाइज्ड मांग में कमी पूर्ति का विकल्प न होने तथा Direct Demand निष्क्रिय किये जाने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान जयपुर एवं DMIS HelpDesk से दुरभाष पर प्राप्त निर्देशानुसार प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः DMIS Portal के माध्यम से आवेदन जाने के निर्देश दिये गये।

इस संदर्भ में संबंधित प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि DMIS Portal के माध्यम से पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर Already Applied दर्शित हो रहा है। अन्य/नवीन SSO ID से Form Online करने पर भी Already Applied दर्शित हो रहा है।

प्रार्थी के अतिरिक्त उनके पुत्र, पत्नी आदि के नाम ऑनलाईन आवेदन नहीं किया जा सकता चूंकि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से क्षतिग्रस्त मकान का ऑथोराइज्ड कन्ट्रक्शन प्रमाण पत्र प्रार्थी स्वयं के नाम पर हैं। कृपया उक्त प्रकरण में संबंधित प्रार्थी को जारी प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार सहायता राशि का भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावें।

L

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)  
अति. जिला कलेक्टर एवं  
प्रभारी अधिकारी सहायता  
सवाई माधोपुर

## कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर (राज०)

(आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

oicreliefswm@gmail.com

oic\_relief\_swm@rajasthan.gov.in

सहायता अनुभाग रुम नं 12 कलेक्टर सम

क्रमांक : सहा./विविध/प्रा.आ./ 23/

दिनांक:- 19.01.2022

श्रीमान शासन सचिव महोदय,  
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,  
राजस्थान जयपुर

विषय:- प्राकृतिक आपदा (आकाशीय बिजली) से क्षति होने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक सहा./विविध/प्रा.आ./2619 दिनांक 10.05.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर श्री शरीफ पुत्र श्री शब्बीर निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर एवं श्री शब्बीर पुत्र श्री तैयब निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर की सहायता पत्रावली इस कार्यालय को DMIS Portal के माध्यम से प्राप्त हुई। जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति Relief/NC/sky light/2020/5663-70 दिनांक 23.12.2020 जारी की जाकर बजट मांग की गई। लेकिन उक्त बजट मांग को रिवाईज्ड किये जाने एवं उक्त रिवाईज्ड मांग में कमी पूर्ति का विकल्प न होने तथा Direct Demand निष्क्रिय किये जाने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान जयपुर एवं DMIS HelpDesk से दुरभाष पर प्राप्त निर्देशानुसार प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः DMIS Portal के माध्यम से आवेदन जाने के निर्देश दिये गये।

इस संदर्भ में संबंधित प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि DMIS Portal के माध्यम से पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर Already Applied दर्शित हो रहा है। अन्य/नवीन SSO ID से Form Online करने पर भी Already Applied दर्शित हो रहा है।

प्रार्थी के अतिरिक्त उनके पुत्र, पत्नी आदि के नाम ऑनलाईन आवेदन नहीं किया जा सकता चूंकि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से क्षतिग्रस्त मकान का ऑथोराइज्ड कन्ट्रक्शन प्रमाण पत्र प्रार्थी स्वयं के नाम पर है। कृपया उक्त प्रकरण में संबंधित प्रार्थी को जारी प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार सहायता राशि का भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावें।

(डॉ० सूरज सिंह नेगी)  
अति. जिला कलेक्टर एवं  
प्रभारी अधिकारी सहायता  
सवाई माधोपुर

# कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर (राज०)

(आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

nicreliefsm@gmail.com

nic.relief.svm@rajasthan.gov.in

संस्कृत अनुमति क्रम नं 12 कलर/रेट/समा

क्रमांक : सहा./विविध/प्रा.आ./2619

दिनांक-10.5.2021

श्रीमान् शासन सचिव  
आपदा प्रबंधन सहायता एवं  
नागरिक सुरक्षा विभाग  
राजस्थान जयपुर।

विषय:- प्राकृतिक आपदा (आकाशीय बिजली) से क्षति होने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।  
प्रसंग:- प्रशासनिक स्वीकृति आदेश Relief/NC/sky light/2020/5663-70 दिनांक 23.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से पक्का मकान क्षतिग्रस्त होने पर श्री शरीफ पुत्र श्री शब्बीर निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर एवं श्री शब्बीर पुत्र श्री तैयब निवासी खोहरी तहसील मलारना डूंगर की सहायता पत्रावली इस कार्यालय को DMIS Portal के माध्यम से प्राप्त हुई। जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति Relief/NC/sky light/2020/5663-70 दिनांक 23.12.2020 जारी की जाकर बजट मांग की गई। लेकिन उक्त बजट मांग को रिवाइज्ड किये जाने एवं उक्त रिवाइज्ड मांग में कमी पूर्ति का विकल्प न होने तथा Direct Demand निष्क्रिय किये जाने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान जयपुर एवं DMIS HelpDesk से दुर्भाष पर प्राप्त निर्देशानुसार प्रार्थी को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः DMIS Portal के माध्यम से आवेदन जाने के निर्देश दिये गये।

इस संदर्भ में संबंधित प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि DMIS Portal के माध्यम से पुनः ऑनलाईन आवेदन करने पर Already Applied दर्शित हो रहा है। अन्य/नवीन SSO ID से Form Online करने पर भी Already Applied दर्शित हो रहा है।

प्रार्थी के अतिरिक्त उनके पुत्र, पत्नी आदि के नाम ऑनलाईन आवेदन नहीं किया जा सकता चूंकि प्राकृतिक आपदा ( आकाशीय बिजली ) से क्षतिग्रस्त मकान का ऑथोराइज्ड कन्ट्रक्शन प्रमाण पत्र प्रार्थी स्वयं के नाम पर है। कृपया उक्त प्रकरण में संबंधित प्रार्थी को जारी प्रशासनिक स्वीकृति अनुसार सहायता राशि का भुगतान किये जाने हेतु अग्रिम प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही के संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने का श्रम करावें।  
संलग्न:- मूल प्रकरण प्रति।

12  
अति. जिला कलेक्टर एवं  
प्रभारी अधिकारी सहायता  
सवाई माधोपुर

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), सर्वाई माधोपुर

क्रमांक: Relief/NC/Sky light/2020/ 5663-70

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL//SAW/0001981

दिनांक: -27/11/2020-  
23.12.2020

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशप्ता सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के अधिसूचना क्रमांक /एफ 14(12)आ.प्र.एवं सहा./ अग्नि/2017/13722-37 दिनांक 13.12.2017 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजली से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता करूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | आवेदन संख्या         | पीड़ित का विवरण                                     | आपदा का क्षेत्र   | आपदा की दिनांक | क्षति का प्रकार | क्षति का विवरण  | देय सहायता राशि |
|---------|----------------------|---|---|----------------|-----------------|---|-----------------|
| 1       | AR//SAWA/2020/003130 | नाम: Sarifपिता का नाम: SHABBIRजिला: सर्वाई माधोपुर  | 1, KHOHARY, मलारना डूंगर, पंचायत समिति -बौली, ग्राम पंचायत -तारनपुर, गाँव - खोहरी | 14/08/2020     | आकाशीय बिजली    | OK- दिनांक 14.08.2020 को आकाशीय बिजली से घरका संपत्ति घुर्ना: क्षतिग्रस्त | 95100           |
| 2       | AR//SAWA/2020/003020 | नाम: Shabbirपिता का नाम: TAIYABजिला: सर्वाई माधोपुर | 01, खोहरी, मलारना डूंगर, पंचायत समिति -बौली, ग्राम पंचायत -तारनपुर, गाँव - खोहरी  | 14/08/2020     | आकाशीय बिजली    | OK- दिनांक 14.08.2020 को आकाशीय बिजली से घरका संपत्ति घुर्ना: क्षतिग्रस्त | 95100           |
| योग     |                      |   |   |                |                 |   | 190200          |

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-113-(09)-[01]-12


C.Y.  
जिला कलेक्टर 21/12/2020  
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
सर्वाई माधोपुर

## आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि - निम्नान्कितों को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

  
प्रभारी अधिकारी  
(आ.प्र. एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)  
सवाई माधोपुर